विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–227 / 2023

शिवाक्षी,
43 ए आन्नद लोक कालौनी,
हुण्डई शोरूम के पास,
रामपुर रोड़ हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल, — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी। — विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि This complaint is regarding the erroneous reading of our meter reading, details of which are mentioned below:
   Respected Slr,
   Bill No.: 44331115
   Account No: 4011691476l
   Meter no.: GE0384
   Name: Brinda Dwivedi
   The occurrence of erroneous reading is a recurring affair now. We even raised complaints in the previous billing term too. This time we have billed for 103 days and an exorbitant amount of Rs 33,797. Being in rural Haldwani area our electricity consumption is no match to the bill.
   Please look into the matter and provide us with the solution
2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि–शिकायतकर्ता के विद्युत संयोजन की बिल हिस्ट्री (संलग्न) का अवलोकन करने पर शिकायतकर्ता को प्रेषित

विद्युत बिल सही प्रतीत हो रहे है। यदि शिकायतकर्ता अपने वर्तमान विद्युत बिल से संतुष्ट ना हों तो वे उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, टी0पी0नगर के कार्यालय में चैक मापक शुल्क जमा कर चैक मापक लगवा सकते हैं अथवा विभागीय टोल फ्री नम्बर 1912 में भी चैक मापक हेतु रजिस्ट्रेशन करवाकर उक्त उपखण्ड कार्यालय में चैक मापक शुल्क जमा कर सकते हैं।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्र में पुनः कहा गया है कि उपभोक्ता के 08.02.2021 से 07.02.2023 तक आर0डी0एफ0 के बिल प्रेषित किये गये है। शिकायतकर्ता के आर0डी0एफ0 विद्युत बिलों को मैनुअल बिल संशोधन किया गया है तथा गणना शीट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4. परिवादी द्वारा प्रतिउत्तर में कहा गया है कि:–This is regarding an update on complaint number 227/2023. We have not received the corrected bill for our A/C - 40116914761.Please look into it and do the needful at the earliest.
5. परिवादी द्वारा एक अन्य में प्रेषित कर कहा गया है कि:&The revised bill generated amounts to Rs 20178. This amount is huge and as a single earner we won't be able to afford. As you know and verify from the ledger that the RDF mistake was carried out for long time without any intimation to us. As a consumer we have duly paid our bills and the RDF bill faults lies to the department which was not able to detect it duly on time. We would request you to resolve the issue as soon as possible in the most amicable way.
6. परिवादी द्वारा अपनी पुनः आपत्ति में कहा गया है कि:–As I am suspecting that the department calculated the bill using the higher slab rate rather than the concurrent, which is why the bill amounts to be Rs 20178.We would like the department to recalculate the bill and use the concurrent slab rate.
7. विपक्षी द्वारा अपने उत्तर पत्र मैनवुल लेजर में कहा गया है कि:– शिकायतकर्ता का मैनुवल संशोधित विद्युत बिल सिस्टम में फीड कर दिया गया है तथा सशोधित बिल लेजर की छायाप्रति(संलग्न)शिकायतकर्ता को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है।
8. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने अतिरिक्त पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के विद्युत बिल का ऑनलाइन रिवीजन किया गया है जो टैरिफ एवं उस अवधि हेतु निर्धारित टैरिफ स्लैब के अनुसार ही होता है इसलिए शिकायतकर्ता को प्रेषित सशोधित बिल सही हैं।
9. परिवादी द्वारा अपने पत्र में कहा की हमारी बिजली बिल संबंधित शिकायत के प्रतिउत्तर में विभाग द्वारा जो संशोधित बिल भेजा गया है, वह भी गलत है। नवीन बिल में बिजली दर को 6.50 रुपए प्रति यूनिट (सर्वाधिक दर) के हिसाब से जोड़ा गया है कि सर्वथा अनुचित है। क्योंकि बिलिंग की अवधि 02 वर्षा में है अतः बिजला बिल समसामयिक टैरिफ दर के हिसाब से जोडा जाना गया है जो कि चाहिए अतः विभाग से करबद्ध अनुरोध है कि समयामयिक ट्रैरिफ दर के हिसाब से नवीन बिल भेजे।

विभाग द्वारा दो बार गलत फिर भेजने के कारण, बिल जमा करने में जो विलंब हो रहा है, कृपया सुनिश्चित करें कि ग्राहक पर इसका असर न पड़े।

10. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी की बिल संशोधन संबंधित शिकायत पर कार्यवाही करते हुए विपक्षी द्वारा संशोधित बीजक गणना शीट प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी द्वारा जो गणना शीट मंच में प्रस्तुत की गई है उसमें माननीय नियामक आयोग के समय–समय पर लागू टैरिफ ऑर्डर के अनुसार ही उचित टैरिफ स्लैब के आधार पर विद्युत मूल्य की गणना की गयी है, जो, कि मंच मत में सही है। इस गणना के आधार पर परिवादी को रुपए 13618.90 का समायोजन प्रदान कर दिया गया है। समायोजन प्रदान करने के प्रमाण स्वरुप विपक्षी द्वारा परिवादी के बिल लेजर की प्रति भी संलग्न की गयी है।

अतः विपक्षी द्वारा परिवादी का बिल उचित टैरिफ के आधार पर संशोधित कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित होने योग्य है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान उचित टैरिफ स्लैब के अनुसार बिल संशोधित कर कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 22/9/2023

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य(उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य(तकनीकी)

22/09/2023
(टीका राम जोशी)
सदस्य(न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित,हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 22/9/2023

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य(उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य(तकनीकी)

(टीका राम जोशी)
सदस्य(न्यायिक)